



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 49 राँची, सोमवार,

30 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

18 अक्टूबर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-48/2017-17722 (HRMS)--श्री जितेन्द्र मुण्डा, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट, गुमला के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-682, दिनांक 07.03.2017 के माध्यम से उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, गुमला के पत्रांक-1287(ii)/म०को०, दिनांक-20.12.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री मुण्डा के विरुद्ध मनरेगा अन्तर्गत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, मनरेगा कानून का उल्लंघन करने, प्रखण्ड अन्तर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण एवं अन्य प्रकार की योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने एवं सरकारी राशि के गबन/दुरुपयोग में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6152, दिनांक 12.05.2017 द्वारा श्री मुण्डा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री मुण्डा के पत्र, दिनांक 11.01.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री मुण्डा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-706, दिनांक 24.01.2018 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-901(ii)/म०को०, दिनांक-18.08.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री मुण्डा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के कई बिन्दुओं पर असहमति प्रतिवेदित किया गया तथा ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-1785, दिनांक 08.07.2019 द्वारा उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य पर विभागीय सहमति संसूचित की गई ।

श्री मुण्डा के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण तथा इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गुमला एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-94(HRMS), दिनांक 06.01.2020 द्वारा श्री मुण्डा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-653, दिनांक 01.10.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मुण्डा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया ।

श्री मुण्डा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उपायुक्त, गुमला के पत्रांक- 410(ii)/अभि०, दिनांक 16.04.2007; ज्ञापक-411(ii)/अभि०, दिनांक 16.04.2007; पत्रांक- 396(i)/अभि०, दिनांक 11.09.2007 एवं अन्य स्वीकृत्यादेशों में योजना कार्यान्वयन हेतु निदेश/शर्तों की कंडिका-35 में अन्य पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अपने स्थल भ्रमण के क्रम में कार्य प्रगति की जाँच करते हुए अद्यतन स्थिति से उपायुक्त, गुमला को अवगत कराने का निदेश दिया गया है, किन्तु उक्त निदेश का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि संबंधित योजनाओं का निरीक्षण/पर्यवेक्षण किये जाने संबंधी एक भी प्रतिवेदन इनके द्वारा साक्ष्य के रूप में संलग्न नहीं किया गया है। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए श्री मुण्डा को मनरेगा की योजनाओं में पर्यवेक्षण/निरीक्षण कार्य में दोषी मानते हुए इनके विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-671, दिनांक 01.02.2021 द्वारा श्री मुण्डा से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, जिस पर उनके पत्रांक-44/रा0, दिनांक 15.02.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री मुण्डा द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) श्री मुण्डा द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा परिक्ष्यमान अवधि दिनांक 23.02.2007 से 04.06.2007 तक एवं 15.06.2007 से 01.11.2007 तक प्रखण्ड एवं अंचल प्रशिक्षण के साथ-साथ जिला स्तरीय अन्य कार्यालयों का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा था ।

(ii) उक्त अवधि में स्वयंसेवी संस्था प्रदान गुमला, बिरसा मुण्डा कला परिषद् गुमला (फलदार वृक्ष रोपण हेतु) अहेड, पालकोट को मिश्रित लाह संघन वृक्षारोपण कार्य हेतु जिला स्तर से चयन करते हुए 50% राशि विमुक्त किया गया जिसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है ।

(iii) अंचल अधिकारी, पालकोट गुमला के पत्रांक-209(ii) दिनांक 02.08.2008 के द्वारा उक्त योजनाओं का जाँच किया गया, जिसे उपायुक्त, गुमला को समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप गठित किया गया ।

(iv) श्री के०एन० त्रिपाठी, सदस्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के पत्र के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची से गुमला जिला में वर्ष 2007-08 में मनरेगा योजनान्तर्गत ली गई योजनाओं की जाँच करायी गई थी। आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 59/वि० दिनांक 14.03.2009 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को समर्पित की गई थी। जाँच प्रतिवेदन में योजनाओं के अन्तर्गत जीवित पौधों एवं वृक्षों की संख्या स्वीकृत संख्या से बहुत कम प्रतिवेदित की गयी थी, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि स्वयंसेवी संस्था द्वारा राशि का गबन कर लिया गया है ।

(v) आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा श्रीमती स्मिता चुघ, सदस्य राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची द्वारा करते हुए प्रतिवेदन पत्रांक-28 दिनांक 02.04.2014 द्वारा समर्पित किया गया है। श्रीमती चुघ के प्रतिवेदन के कंडिका 4.3 में उल्लेख किया गया है कि आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा किये गये जाँच में योजनाओं अन्तर्गत राशि की उपयोगिता में पायी गयी भिन्नता योजना के लिये स्वीकृत प्लॉट में परिवर्तन के कारण आया है ।

(vi) योजना आदेश ज्ञापकों के कंडिका-06 में परियोजना का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता पूर्ण कार्यपूर्ण कराये जाने के लिये जिला उद्यान पदाधिकारी, गुमला एवं कृषि पदाधिकारी, गुमला को प्रधिकृत किया गया था तथा स्वयंसेवी संस्था के द्वारा किये कृषि कार्य में त्रुटियों का निराकरण करते हुए कार्यपूर्ण करने का आदेश दिया गया था ।

कंडिका-14 में मानक गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर अन्य संबंधित पक्ष के साथ-साथ जिला उद्यान पदाधिकारी, गुमला पूर्णतः उत्तरदायी होंगे से संबंधित आदेश अंकित है। कंडिका-18 में पालकोट अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अपूर्ति किये गये वृक्षारोपण के पौधों की त्रुटि के कारण यदि फसल 5 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होता है तो 5 प्रतिशत से उपर हुए क्षति की पूर्ति उनके द्वारा की जायेगी से संबंधित आदेश अंकित है। कंडिका-25 में राशि के दुरुपयोग के मामले में संबंधित लाभुक एवं चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं से संबंधित लाभुक समिति एवं मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी से

झारखण्ड एवं उड़ीसा लोक माँग अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत राशि वसूली की कार्रवाई की जायेगी से संबंधित आदेश अंकित है। आरोप पत्र के अनुसार स्वयं सेवी संस्थाओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है। कंडिका-26 में सिंचाई एवं अन्य मद में लाभुक के अंशदान का शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कराने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं कार्य एजेंसी, पालकोट तथा जिला उद्यान पदाधिकारी, गुमला उत्तरदायी होंगे। यदि समुचित फर्टिलाइजर एवं दवाई के अभाव के कारण फसल क्षतिग्रस्त होती है तो संबंधित कृषक/स्वयं सहायता समूहों/जिला उद्यान पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किया जायेगा से संबंधित आदेश अंकित है। कंडिका-28 में जिला उद्यान पदाधिकारी, गुमला, जिला कृषि पदाधिकारी, गुमला द्वारा नियमित रूप से कार्य प्रगति की समीक्षा की जायेगी तथा लाभुक स्वयं सहायता समूहों को आवश्यक तकनीकी सुझाव दिया जायेगा। यदि कार्य प्रगति निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं रहता है, तो तुरन्त आवश्यक सुधार सुनिश्चित कराया जायेगा से संबंधित आदेश अंकित है। कंडिका-35 में निर्देश अंकित है कि जिला उद्यान पदाधिकारी, गुमला, जिला कृषि पदाधिकारी, गुमला को योजना पूर्ण कराने के लिए प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (स्वयं), गुमला, पालकोट, स्वयंसेवी संस्था एवं कृषकों से आवश्यक समन्वय करेंगे। उक्त के आलोक में इनके द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है। यदि नहीं किया जाता तो जिला के द्वारा उक्त अनुपालन नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण या निर्देश दिया जाता जबकि ऐसा नहीं किया गया, जो स्वतः स्पष्ट है कि इनके द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है।

(vii) श्री मुण्डा का कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच में भी प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है।

(viii) उपरोक्त कंडिकाओं में अंकित आदेश में पूर्ण जिम्मेवार जिला उद्यान पदाधिकारी, गुमला, जिला कृषि पदाधिकारी, गुमला एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को उत्तरदायित्व बनाया गया है न कि इनको। इसके बावजूद आरोप लगाया गया है, जो पूर्णतः गलत है, अतः जाँच प्रतिवेदन को स्वीकार कर आरोप से मुक्त की जाय।

श्री मुण्डा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध एक भी आरोप प्रमाणित नहीं किया गया है। उक्त योजना के चयन, क्रियान्वयन एवं राशि व्यय में किसी भी स्तर पर उनकी भूमिका नहीं है। योजना कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर से राशि सीधे एन०जी०ओ० को उपलब्ध कराया गया है तथा उक्त अवधि में वे परीक्ष्यमान अवधि में थे। फलस्वरूप प्रखण्ड एवं अंचल प्रशिक्षण के साथ-साथ जिला स्तरीय अन्य कार्यालयों का भी प्रशिक्षण उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा था।

समीक्षोपरांत, श्री जितेन्द्र मुण्डा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, पालकोट, गुमला, जो उक्त अवधि में प्रशिक्षण में थे, के विरुद्ध प्रस्तावित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि के रोक के दण्ड पर उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री जितेन्द्र मुण्डा, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JITENDERA MUNDA 20060400046	श्री जितेन्द्र मुण्डा, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट, गुमला को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
